राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

एफ.28( )पराविं / प्रशा.2 / पंचा.प्र.अ.–नीमराना / निलम्बन / 2018 / 3822 जयपुर,दिनांकः 28.8.18

:: आदेश ::

पुलिस थाना नीमराना अलवर में दर्ज अभियोग संख्या 90 / 17 में आरोपी श्री शिवचरण यादव व अन्य के विरूद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 14.08.2018 को अन्य आरोपियो के साथ श्री शिवचरण पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, जाति यादव, उम्र 52, निवासी दहमी थाना, बहरोड, जिला अलवर तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ढूंढारिया, तहसील बहरोड, जिला अलवर हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर को बाद अनुसंधान अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तार उक्त मुलजिमानों को दिनांक 27.08.2018 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

अतः श्री शिवचरण यादव, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के प्रावधानानुसार गिरफ्तारी दिनांक 14.08.2018 से निलम्बित करने के आदेश प्रदान करते हुए, निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय जिला परिषद अलवर किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमादित है।

आज्ञा से,

(मोहम्मद अबूबक्र)

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को उनके पत्र क्रमांक 6161–62 दिनांक 23.08.2018 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री शिवचरण यादव को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देश देवे कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोडे। निलम्बन काल में इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नीमराना (अलवर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश तत्काल श्री शिवचरण यादव को तामील करवाकर जिला परिषद अलवर हेतु कार्यमुक्त करते हुए पालना रिपोर्ट व उक्त निलम्बन आदेश का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर, प्रमाणित प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री शिवचरण यादव, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर।
5. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

उप सचिव एवं उपायुक्त

D\SSR\CCAPE\2018\Notice2018.DOC